महानिदेशालय कारागार,राजस्थान,जयपुर

कमांकःपरिवाद/परिपत्र/06/2009/24381-24482 दिनांक 24.09.2010

स्थायी आदेश संख्या 05/2010

विषय :– परिवाद संबंधी अभिलेख हेतु परिवाद–पंजिका का संधारण।

राज्य के विभिन्न कारागारों/उप कारागारों/कार्यालयों द्वारा प्राप्त परिवादों की प्राप्ति तथा उन पर आवश्यक जॉच एवं कार्यवाही आदि से संबंधित अभिलेखों के संधारण की व्यवस्था उपयुक्त नहीं है तथा विभागीय कार्यालयों द्वारा अपनायी जा रही प्रकिया में एकरूपता नहीं है जिसके फलस्वरूप अभाव अभियोगों का निराकरण प्रभावी ढ़ंग से नहीं किया जा रहा है।

2. अतः समस्त प्रकार के परिवादों की प्राप्ति एवं निस्तारण के संबंध में अभिलेख–संधारण के संबंध में निम्न निर्देश दिये जाते हैंः–

अ. प्रत्येक कारागार/उप कारागार/कार्यालय द्वारा परिवाद पंजिका का दो भागों में (प्रथम भाग–I एवं भाग-II) में संधारण किया जाये।

ब. भाग–I में उन परिवादों के संबंध में विवरण दर्ज किया जावे जिनमें कारागार/उप कारागार/कार्यालय से जॉच रिपोर्ट अथवा कार्यवाही कर अनुपालना रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं। परिवाद पंजिका के भाग–I में विवरण निम्न प्रारूप में संधारित किया जायेः–

क.सं0 /प्राप्ति दिनांक	प्रेषक अधिकारी का नाम, पत्र कमांक दिनांक	परिवादी का नाम व पता	आरोप का सारांश	जॉच का नतीजा	रिपोर्ट भेजने का पत्र कमांक व दिनांक
1	2	3	4	5	6

स. भाग-II में ऐसे समस्त परिवादों का विवरण दर्ज किया जाये जो कि प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये हैं अथवा स्वयं परिवादी ने डाक द्वारा भेजे हैं अथवा स्वयं प्रभारी/प्रभारी के कार्यालय को व्यक्तिशः प्रस्तुत किये गये हैं। परिवाद पंजिका के भाग-II में विवरण निम्न प्रारूप में संधारित किया जायेः–

क.सं./प्राप्ति दिनांक	परिवादी का नाम व पता	आरोप का सारांश	जॉच का नतीजा	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5

द. प्रत्येक माह के समाप्त होने पर परिवाद पंजिकाओं के भाग-I एवं भाग-II का पृथक–पृथक गोश्वारा निम्नानुसार दोनों पंजिकाओं में दर्ज किया जाये:–

1 गत् माह के अन्त में लम्बित रहे परिवादों की संख्या
2 माह में प्राप्त नये परिवादों की संख्या
3 माह में निस्तारित परिवादों की संख्या
4 माह के अन्त में लम्बित रहे परिवादों की संख्या
5 लम्बित परिवादों की क्रम संख्या

य. वर्ष की समाप्ति पर उपरोक्तानुसार संपूर्ण वर्ष का भी गोश्वारा अंकित किया जाये तथा नया वर्ष प्रारंभ होने पर परिवाद पंजिका के प्रत्येक भाग को पुनः क्रम संख्या 1 से प्रारंभ कर पंजिकाएं संधारित की जायें।

3. प्रभारी अधिकारी परिवादों के त्वरित निस्तारण हेतु उत्तरदायी होंगे तथा यह अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित रूप से परिवाद पंजिकाओं का अवलोकन कर लम्बित परिवादों के निस्तारण में गति लायेंगे।

4. उक्त निर्देशों की तुरन्त प्रभाव से पालना की जाये तथा वर्तमान में लम्बित परिवादों को संबंधित पंजिकाओं में दर्ज करें तथा भविष्य में प्राप्त होने वाले परिवादों को उक्तानुसार पंजिकाओं में दर्ज किया जावे।

(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार,राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महानिरीक्षक कारागार,राजस्थान,जयपुर
2. समस्त उप महानिरीक्षक कारागार,क्षेत्रीय कार्यालय (जोधपुर–बीकानेर) रेंज–जोधपुर एवं (कोटा–उदयपुर) रेंज–उदयपुर
3. समस्त अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह,राजस्थान
4. समस्त अधीक्षक/उप अधीक्षक, जिला कारागृह 'ए' एवं 'बी' श्रेणी /महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर/जोधपुर
5. समस्त प्रभाराधिकारी,उप कारागृह,राजस्थान
6. प्रभारी,बाल बंदी सुधारगृह,घूघरा,अजमेर

कार्यालय अधीक्षक– स्थायी आदेशों की गार्ड फाईल संधारण हेतु।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार,राजस्थान,जयपुर